आदेश की क्रम—संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणीः तारीख—सहित
05/2/16	**आदेश** विविध अपील वाद संख्या— 72/12—13 रुना देवी बनाम सरकार का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक 498 दिनांक 13.04.2012 के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलार्थी परियोजना, कटोरिया के आँगनबाड़ी केन्द्र सिहुलिया की सहायिका थी जिन्हें अनियमितता आदि वरतने के आरोप में चयनमुक्त किया गया है। निर्धारित तिथि पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अर्ज किया गया कि उनके द्वारा कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य किया जाता रहा था। किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायत नहीं रही थी। दिनांक— 13.01.2012 को अचानक तबियत गंभीर रूप से बिगड़ जाने के कारण केन्द्र पर उपस्थित नहीं हो सकी। बिमारी की लाचारी की वजह से लिखित आवेदन नहीं दिया जा सका । निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण समर्पित कर सत्यता के साथ यह जानकारी दी गई कि गंभीर अस्वस्थता के कारण दिनांक 13.01.2012 से 03.02.2012 तक वो अनुपस्थित रही हैं। कथन के समर्थन में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, देवघर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी समर्पित किया गया था, परन्तु इसकी अनदेखी कर उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर उन्हें चयनमुक्त किया गया है, जो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई है। मामूली गलती के लिए चयनमुक्त किया गया हैं। चयनमुक्त करने के अलावा विभागीय दण्ड दिया जा सकता था। उक्त तथ्यों को रखते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने एवं चयन पुनर्बहाल करने की प्रार्थना अपीलार्थी की ओर से किया गया। बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण एवं एल0सी0आर0 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने डॉ0 (श्रीमती) सुषमा वर्मा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, देवघर का चिकित्सा जाँच दिनांक— 13.01.2012 की प्रति दाखिल किया है, जिसमें दिनांक 03.02.2012 तक अपीलार्थी को बेड—रेस्ट की सलाह दी गई है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा शिशु जन्म प्रमाण—पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत किया है, जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक— 22.04.2012 को एक Boy child को जन्म दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से अपीलार्थी के कथन में सत्यता प्रतीत होती है। गर्भावस्था में रहने के दौरान स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक परेशानी रहने के कारण केन्द्र से अनुपस्थित रही हैं। अन्य किसी प्रकार की अनियमितता या गबन आदि का तथ्य या प्रमाण नहीं है। परन्तु अनुपस्थित रहने पर	

इसकी लिखित सूचना संबंधित पदाधिकारी को देना आवश्यक था जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः विचारोपरान्त अपीलार्थी को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है कि आगे वो अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग रहें। इस क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक 498 दिनांक 13.04.2012 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को सहायिका के पद पर पुनर्बहाल करने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी को योगदान की तिथि से मानदेय आदि का भुगतान अनुमान्य होगा।

अपील स्वीकृत। आदेश अनुपालन हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका को सूचित करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

5.2.16

समाहर्त्ता,
बांका

5.2.16

समाहर्त्ता,
बांका